न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 26/2025 प्रार्थना पत्र धारा 6 ए

सरकार जरिये विनोद मीना प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा बनाम

1. विक्रम पुत्र सतवीर निवासी मालखेडा जिला हनुमानगढ हाल निवासी सलावटिया ड्राईवर वाहन संख्या RJ23-GD-2140
2. राजकुमार पुत्र दिलीप कुमार निवासी सिंगढोला बारा बाठोट लक्ष्मणगढ जिला सीकर, मालिक वाहन संख्या RJ23-GD-2140
3. पार्टनर फर्म श्री बालाजी फ्यूल एनर्जी श्री ओमप्रकाश पुत्र केशरदेव निवासी सीकर एवं श्री राजकुमार पुत्र दिलीप कुमार निवासी सिंगढोला बारा बाठोट लक्ष्मणगढ जिला सीकर

–प्रार्थी –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री उदयसिंह चारण अधिवक्ता – विपक्षीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 11.07.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत भवर के पास गाडी नम्बर RJ23-GD-2140 के ड्राईवर से पूछताछ की गयी जिसनें वाहन श्री बालाजी फ्यूल एनर्जी का होना बताया एवं तरल पदार्थ का विक्रय किया जाना बताया गया। ड्राईवर ने कम्पनी एवं वाहन का मालिक राजकुमार एवं ओमप्रकाश का होना बताया। पूछताछ में उक्त मिलावटी तरल पदार्थ/तेल की बिकी, परिवहन एवं भण्डारण बाबत कोई भी अनुज्ञापत्र आदि पेश नही किया गया एवं न ही उनके द्वारा डिस्पेंसिंग यूनिट का कैलिब्रेशन प्रमाण पत्र पेश किया गया। प्रथम दृष्टया मिलावटी डीजलनुमा तरल पदार्थ पाया गया। उक्त तथ्यों की दृष्टि में यह स्पष्ट है कि ट्रक ड्राईवर एवं ट्रक मालिकों द्वारा अवैध रूप से मिलावटी तेल का परिवहन, भण्डारण एवं विक्रय किया जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः वजह सबूत वाहन / ट्रक ड्राईवर विक्रम पुत्र सतवीर के कब्जे से वाहन नम्बर RJ23-GD-2140 मय 1739.24 लीटर डीजलनुमा मिलावटी तरल पदार्थ/तेल जब्त सरकार किया जाकर श्री विजय सिंह हेड कांस्टेबल बेल्ट नंबर 966 थाना बिजौलिया निवासी कसाने का नंगला थाना सुरोठ

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा